राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 177, 178/2018.....जिला.....श्रीगंगानगर..

मैसर्स प्रगति ग्लोबल कॉरपोरेशन श्रीगंगानगर बनाम् 1. अपीलीय प्राधिकारी बीकानेर 2. सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ
श्री राजीव चौधरी, सदस्य
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

21/02/2018

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री वी.के.पारीक एवं विभाग की ओर से श्री अनिल पोखरणा, उप–राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

यह दोनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2018 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 4, 25, 55, 61 व 18 के तहत् कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 16.08.2017 द्वारा अपील संख्या 53 एवं 54/2017–18 में कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलों में अपीलीय अधिकारी द्वारा निम्नांकित तालिकानुसार विवादित मांग राशियों की वसूली पर रोक लगाने हेतु स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। दोनों स्थगन प्रार्थना पत्रों में पक्षकार एवं विवाद बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जा रही है।

अपील सं.	अवधि	धारा 4 के अंतर्गत कर	रिवर्स कर	ब्याज	धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति राशि	स्थगन हेतु निवेदित राशि
1	2	3	4	5	6	7
177/18	14–15	3,55,929	7,00,483	3,16,925	35,13,791	47,81,128
178/18	15–16	–	–	11,700	2,60,000	2,45,700

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि सृजित मांग राशि मुख्यतः दो बिन्दुओं से सम्बन्धित है। प्रथम विवाद बिन्दु में अपीलार्थी ने मैसर्स आशु ट्रेडिंग कंपनी, श्रीगंगानगर एवं मैसर्स आशुतोष ट्रेडिंग कंपनी, श्रींगगानगर से माल की खरीद अनुबंध के आधार पर की गई तथा माल उसी के गोदाम में रखवाया गया था तथा अपीलार्थी ने विधिक रूप से खरीद किये गये माल पर आगत कर क्लेम किया है। दोनों फर्मे अलग–अलग प्रोपराइटर की है। द्वितीय विवाद बिन्दु में अपीलार्थी द्वारा सीमेन्ट की अन्तर्राज्यीय बिक्री मैसर्स स्वराज इन्टरनेशनल को 2 प्रतिशत सी फार्म के समर्थन से की गई है। अतः मांग राशियों के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशियों की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी ।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक आवेदन पत्रों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

लगातार.....2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 177, 178 / 2018.....जिला.....श्रीगंगानगर..

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज —: 2 :—	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21 / 02 / 2018	उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। आई.टी.सी. रिवर्स किये जाने व ब्याज के बिन्दु पर सुविधा सन्तुलन प्रथम दृष्टया अपीलार्थी के पक्ष में नहीं है परन्तु शास्ति के बिन्दु पर प्रकरण में प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन (Balance of convenience) अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः **प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** प्रकरण में कॉलम संख्या 6 में अंकित धारा 61 के तहत शास्ति राशियों की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता हे कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें। दोनों स्थगन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। आदेश प्रसारित किया गया। सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर 21/02/18 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	